न्यायालय संभागीय आयुक्त, अजमेर

(निर्णय भंवर लाल मेहरा, आई.ए.एस संभागीय आयुक्त, अजमेर)

क्रमांक/वि.अ./2022/86

विभागीय अपील द्वारा श्रीमती छोटी कुमारी हाल परिवर्तित नाम किरण चौधरी पूर्व पटवारी, पटवार मण्डल बागोट, हाल पटवार मण्डल रूपनगढ, तहसील दांता रामगढ, जिला सीकर विरूद्ध निर्णय उपखण्ड अधिकारी, परबतसर जिला नागौर के आदेश क्रमांक/विभाग जांच/ओ.ए./16 दिनांक 18.04.2016 जिसके द्वारा अपचारी कर्मचारी को राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 17 के अन्तर्गत आरोपित आरोप साबित होने के कारण (परिनिन्दा) के दण्ड से दण्डित किया गया है।

उपस्थितः— श्री श्रीमती छोटी कुमारी हाल परिवर्तित नाम किरण चौधरी पूर्व पटवारी, मटवार मण्डल बागोट वर्तमान पटवार मण्डल रूपनगढ, तहसील दांता रामगढ, जिला सीकर विरूद्ध निर्णय उपखण्ड अधिकारी, परबतसर जिला नागौर।

निर्णय

दिनांकः— 06.06.2022

यह अपील राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 23 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी, परबतसर जिला नागौर के आदेश दिनांक 18.04.2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

अपीलांट के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 17 के अन्तर्गत विभागीय जांच प्रारम्भ करते हुए एक ज्ञापन दिनांक 08.09.2015 द्वारा अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की गई। अपीलार्थीया पर निम्न आरोप लगाये गयेः—

1. पटवारी हल्का बागोट ने दिनांक 28.08.2015 को उपखण्ड अधिकारी परबतसर द्वारा किये गये हल्के के निरीक्षण से पूर्व निरक्षणो की पालना प्रेषित नही की गई है।
2. पटवार मण्डल बागोट के प्रपत्र मासिक सांराश प्रस्तुत नही किये गये है।
3. पटवार मण्डल के आदेश पुस्तिका को आदिनांक तक पूर्ण नही किया गया है।
4. ग्राम ढूंढिया की खसरा गिरदावरी की जांच नि0भू0अ0 से नही करवाई गई है।

5. खसरा परिवर्तनशील संधारित नही किया है ओर न ही अतिक्रमण की रिपोर्ट प्रस्तुत की है।
6. ग्राम बागोट के 6 नामान्तकरणो एवं ग्राम ढूंढिया के 5 नामान्तकरणो को निष्पादित नही करवाया है।
7. ग्राम बागोट व ढूंढिया की ढालबांछ सं. 2072 समय पर तैयार नही की गई है।
8. प्रपत्र पी.35 प्रतिलिपि शुल्क रजिस्टर मे अंकित दिनांक 10.04.2015 के बाद की सभी जारी की गई नकलो से प्राप्त राशि का हिस्सा सरकार राजकोष मे जमा नही करवाया है।
9. निष्पादित नामान्तकरणो के कम्प्यूटर मे अपडेशन की जानकारी नही है।

अपीलार्थीया को 15 दिवस के अन्दर आरोपित आरोपो का जवाब प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया। इनके द्वारा निर्धारित अवधि मे जवाब प्रस्तुत कर उस पर आरोपित आरोपों को अस्वीकार किया गया। उपखण्ड अधिकारी, परबतसर द्वारा व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर प्रदान कर उनके विरूद्ध लगाये गये आरोप सिद्ध पाये जाने से अपीलान्ट को उक्त प्रकरण में दोषी मानते हुए राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 17 के अन्तर्गत लिखित चेतावनी (परिनिन्दा) के दण्ड से दण्डित किया गया है। उपखण्ड अधिकारी, परबतसर के उक्त दण्डादेश दिनांक 18.04.2016 को विचाराधीन अपील में चुनौती दी गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अपचारी पटवारी को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये तथा उपखण्ड अधिकारी, परबतसर का रेकार्ड व टिप्पणी प्राप्त की गई। अपीलार्थीया को व्यक्तिशः सुना गया।

अपीलार्थीया ने व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान जवाब प्रस्तुत कर कथन किया कि तहसील परबतसर मे सन् 2013 से लैण्ड रिकॉर्ड शाखा मे पदस्थापित थी तथा मुझे पटवार मण्डल बागोट का अतिरिक्त चार्ज दिया गया। पटवार मण्डल बागोट का कार्यभार ग्रहण करने के कुछ समय पश्चात् ही उपखण्ड अधिकारी परबतसर द्वारा पटवार मण्डल बागोट का औचक निरीक्षण रखा गया और निरीक्षण के दौरान मुझे आरोप पत्र में सलंग्न आरोपो द्वारा आरोपित किया गया जबकि मुझे पटवार मण्डल बागोट का कार्यभार ग्रहण किये हुए थोडा ही समय हुआ था जिसके कारण मुझे रिकॉर्ड संधारित करने का पर्याप्त समय नहीं मिल पाया बाद मे मेरे द्वारा सभी आरोप संख्या 01 से 09 की पालना सही समय पर करके श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय के समक्ष पेश कर दिये गये थे।

अपीलार्थीया द्वारा प्रस्तुत मूल अपील पर उपखण्ड अधिकारी, परबतसर से टिप्पणी प्राप्त की गई जिसके द्वारा दिनांक 28.08.2015 को पटवार मण्डल बागोट का वार्षिक निरीक्षण किया गया था जिसमे पटवार हल्का बागोट के राजस्व रेकार्ड

मे पाई गई कमिंयो के मध्यनजर राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 17 के अन्तर्गत अनुशासनिक जांच की कार्यवाही करने हुए परिनिन्दा के दण्ड से दण्डित किया गया था।

मैंनें अपीलार्थीया द्वारा प्रस्तुत अपील एवं अपील में व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान उठाये गए बिन्दुओं पर विचार किया तथा उपखण्ड अधिकारी, परबतसर द्वारा प्रेषित टिप्पणी, मूल रेकार्ड व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात तथा प्रकरण में अपचारी पटवारी को जारी आरोप पत्रों एवं अपचारी कार्मिक द्वारा दिये गये आरोप के प्रत्युत्तर तथा अपचारी कार्मिक द्वारा व्यक्तिगत सुनवाई में प्रस्तुत किये गये तथ्यों एवं दस्तावेजात का गहराई से अध्ययन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि अपीलार्थीया पर आयत आरोपों के कार्य निर्धारित अवधि में पूर्ण किया जा चुका था। उपखण्ड अधिकारी, परबतसर के आदेश से यह स्पष्ट नहीं होता है कि अपीलार्थीया के कार्यकाल के दौरान किस–किस मद में कितना कार्य शेष था। अपीलार्थी को अनावश्यक आरोपों से आरोपित कर 17 सीसीए के तहत कार्यवाही की गई है जो विधिसम्मत प्रतीत नहीं होती है।

अपीलार्थीया पर आरोप प्रमाणित नहीं होने के बावजूद उपखण्ड अधिकारी, परबतसर ने अपीलार्थीया द्वारा प्रस्तुत जवाब को अस्वीकार व नजर अन्दाज कर राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 17 के अन्तर्गत परिनिन्दा के दण्ड से दण्डित किया गया है वह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतो के विपरीत होने से विधिसम्मत एवं न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अतएव ऐसी स्थिति में उपखण्ड अधिकारी, परबतसर जिला नागौर द्वारा पारित दण्डादेश दिनांक 18.04.2016 विधि के प्रावधानों के प्रतिकूल होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलार्थीया श्रीमती छोटी कुमारी हाल परिवर्तित नाम किरण चौधरी पूर्व पटवारी, पटवार मण्डल बागोट, हाल पटवार मण्डल रूपनगढ, तहसील दांता रामगढ, जिला सीकर की अपील सारयुक्त होकर स्वीकार किये जाने योग्य होने से स्वीकार की जाती है। अपीलार्थीया को भविष्य मे सावधानी से कार्य करने की मौखिक चेतावनी देते हुए प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त/ड्रॉप किया जाता है तथा उपखण्ड अधिकारी, परबतसर द्वारा पारित दण्डादेश दिनांक 18.04.2016 विधिसम्मत नहीं होने के कारण अपास्त किया जाता है। निर्णय की सूचना संबंधित को दी जावे।

(भंवर लाल मेहरा),
संभागीय आयुक्त,
अजमेर